

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

संकल्प सं०:- 5855505 / पटना, दिनांक :- 03/07/2026
ग्रा०वि०-R-504/13/2026-Section-14-RIDD-RIDD

श्री चन्द्रमोहन पासवान (अनुक्रमांक-192761), ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, केवटी (दरभंगा) के विरुद्ध पुलिस उप-महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध ईकाई, बिहार, पटना के पत्रांक-3766 दिनांक-02.06.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री चन्द्रमोहन पासवान के विरुद्ध आय के ज्ञात एवं वैध स्रोतों से अधिक परिसंपत्ति अर्जित करने के संबंध में आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या-09/2026, दिनांक-26.05.2026, धारा-13(2) सह पठित 13(1)(बी) भ०नि०अधि०-1988 (यथा संशोधित-2018) दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। इनके द्वारा 89,13,500/- रुपये आय से अधिक सम्पत्ति अर्जन के प्रथम द्रष्टया साक्ष्य पाये गये हैं, जो उनके ज्ञात आय से लगभग 81.03 प्रतिशत अधिक है।

2. श्री चन्द्रमोहन पासवान के विरुद्ध पुलिस उप-महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध ईकाई, बिहार, पटना से प्रतिवेदित आरोप की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री चन्द्रमोहन पासवान के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 के प्रतिकूल एवं गंभीर प्रकृति के हैं।

3. अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1) (ग) के आलोक में श्री चन्द्रमोहन पासवान को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है। साथ ही निलंबन अवधि में श्री चन्द्रमोहन पासवान का मुख्यालय-उप विकास आयुक्त, गया जी का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

4. निलम्बन की अवधि में श्री चन्द्रमोहन पासवान को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम- 10 के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

5. निलम्बन के आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक:- 5855505 / ग्रा०वि० पटना, दिनांक :- 03/07/2026

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, दरभंगा/उप विकास आयुक्त, गया जी/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/ पुलिस उप-महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध ईकाई, बिहार, पटना/ श्री चन्द्रमोहन पासवान (अनुक्रमांक-192761), ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, केवटी (दरभंगा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :- 5855505 / ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 03/07/2026

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा- 03, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :- 5855505 / ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 03/07/2026

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, गया जी को पत्र की एक अतिरिक्त प्रति भेजते हुए अनुरोध है कि पत्र का तामिला श्री चन्द्रमोहन पासवान को कराते हुए तामिला प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विशेष कार्य पदाधिकारी।